यूको बैंक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए संकल्प ढांचा - व्यक्तिगत ऋण

❖कौन सा ऋण इस ढांचा के अंतर्गत हैं ?

क) आवास ऋण एवं अचल संपत्तियों पर दिए गए ऋण ।

ख) ऑटो ऋण (वाणिज्यिक उपयोग के अलावा अन्य ऋण)

ग) शिक्षा ऋण

घ) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और अन्य व्यक्तिगत ऋण।

❖इस संकल्प ढांचा प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है?

इस **संकल्प ढांचा** का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के वित्तीय दबाव को कम करना है।

❖इस संकल्प ढांचा के तहत पात्रता मानदंड क्या हैं ?

क) व्यक्तिगत उधारकर्ता का खाता 'मानक' होना चाहिए और 01.03.2020 को 30 दिनों से अधिक के लिए चूक नहीं होना चाहिए ।

ख) उधारकर्ता कोविड-19 से प्रभावित होना चाहिए।

❖क्या उधारकर्ता 30 दिन से अधिक के लिए अतिदेय होने पर इस फ्रेमवर्क के तहत पात्र हैं?

नहीं ।

❖बैंक कैसे तय करेगा कि मैं कोविड-19 से प्रभावित हूं ?

क) यदि आपका वेतन/आय कोविड-19 के कारण कम हो गई है - वेतन पर्ची फरवरी, 20 और अगस्त, 20 /सितंबर, 20 की जमा करनी होगी ।

ख) यदि नौकरी छूटने/ व्यवसाय बंद होने के कारण आपकी आय कम हो गई है ।

❖ **मैं अधिस्थगन अवधि यानि 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान समय पर अपने ईएमआई का भुगतान किया। क्या मैं अब भी अपने ऋण की पुनसंर्रचना का विकल्प चुन सकता हूँ ?**

हाँ। हालांकि, इस सुविधा के तहत समाधान केवल उन उधारकर्ताओं के लिए है जो कोविड-19 महामारी के कारण दबाव में हैं।

❖ **अगर मैंने 1 मार्च 2020 के बाद ऋण लिया और कोविड-19 महामारी से प्रभावित हूँ, क्या मैं पुनसंर्रचना के विकल्प के लिए योग्य हूँ?**

नहीं ।

❖ **इस ढांचा के तहत राहत पाने के लिए आवेदन कैसे करें?**

क) आप बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर ऋण खाता संख्या दर्ज करने के बाद आपका आवेदन आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओ.टी.पी. द्वारा मान्य किया जाएगा।

ख) आप उस शाखा में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं जहां से आपने ऋण लिया है।

ग) आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बैंक द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करके।

❖ **इस ढांचा के तहत, लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है ?**

31.12.2020 को या उससे पहले

❖ **इस ढांचा के अंतर्गत क्या-क्या राहत / छूट उपलब्ध हैं ?**

क) मूलधन के भुगतान पर अधिकतम 2 वर्ष तक अधिस्थगन की अवधि ।

ख) चुकौती का पुनर्निर्धारण और अधिस्थगन के बराबर चुकौती अवधि का विस्तार ।

❖**क्या ई.एम.आई. में कोई बदलाव होगा?**

हाँ। अधिस्थगन अवधि स्वीकृत होने के कारण, आपके ऋण की अवधि को अधिस्थगन की अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा और अधिस्थगन के बाद देय ई.एम.आई. की पुनर्गणना की जाएगी और संशोधित किस्त ग्राहक को सूचित कर दी जाएगी।

❖**इस ढांचा के अंतर्गत क्या मैं अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए पात्र हूँ ?**

नहीं।

❖**आर.बी.आई.के दिशानिर्देशों के अनुरूप मैंने कोविड-19 से संबंधित 6 महीने की अधिस्थगन की अवधि का लाभ उठाया है, क्या इस फ्रेमवर्क के तहत आगे की अवधि के अधिस्थगन के लिए पात्र हूँ?**

हाँ।

❖**इस ढांचा के तहत क्या मैं एक से अधिक खातों के राहत के लिए आवेदन कर सकता हूं?**

हां, आप इस ढांचा के तहत एक से अधिक खातों में राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

❖**मेरा व्यवसाय अभी अच्छा नहीं चल रहा है। क्या मैं अपनी किश्तों को स्थगित कर सकता हूँ??**

हाँ, यदि उधारकर्ता कोविड-19 से प्रभावित है।

❖**मेरे दो ऋण खाते हैं, जिनमें से एक में 30 से अधिक दिनों के लिए अतिदेय है। क्या अन्य खाते जहां 30 दिनों से कम का अतिदेय/चूक है, को पुनर्संर्चित किया जा सकता है ?**

जिस खाते में 30 दिनों से कम समय के लिए चूक है, उसे पुनर्संर्चित किया जा सकता है। हालांकि, 30 दिनों से अधिक के अतिदेय वाले अन्य ऋण को इस ढांचा के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

❖ **क्या संकल्प ढांचा के तहत पुनसंर्रचना मेरी क्रेडिट रिपोर्ट को प्रभावित करेगी?**

नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी ऋण/क्रेडिट सुविधा की सूचना क्रेडिट ब्यूरो को " पुनर्संर्चित" के रूप में दी जाएगी।

❖ **मेरा ऋण सह-उधारकर्ता के साथ लिया गया था। क्या मूल ऋण समझौते के सभी सह-उधारकर्ताओं को संशोधित पुनर्संरचना समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी?**

हां, मूल ऋण के सभी उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को पुनर्संरचना समझौते सहित ऋण संरचना में किसी भी बदलाव पर सहमत और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है

❖ **क्या मुझे कोई प्रसंस्करण शुल्क देना होगा?**

नहीं।

****